Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण का विधिक दृष्टिकोण: एक विश्लेषण

ज्योति गर्ग
सहायक प्राध्यापक, इंस्टिट्यूट याफ़ लॉ , डॉ. सी. बी. रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर
एजेन्स कुमार साहू
सहायक प्राध्यापक, इंस्टिट्यूट याफ़ लॉ, डॉ. सी. बी. रमन यूनिवर्सिटी, कोटा, बिलासपुर

सार

संयुक्त राष्ट्र ने सन् 2000 में "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण" को सन् 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले आठ "मिलेनियम विकास लक्ष्यों" में से एक घोषित किया था। हालांकि, भारत जैसे देश में, ये उद्देश्य पूरा होने से बहुत दूर हैं। वास्तव में, भारत में महिलाओं को लैंगिक समानता के मुद्दे को छोड़कर अक्सर उनके सम्मान के मौलिक अधिकार से वंचितकर दिया जाता है। इस अध्ययन में भारत मेंमूल रूप से पितृसत्तात्मक समाज में महिलाओं के विधिक अधिकारों के मुद्दों का विश्लेषण किया गया है। इस शोध में दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, उत्तराधिकार से इनकार, लड़कियों की बिक्री और तस्करी आदि सहित भारत में महिलाओं के सामने आने वाले बहुत से मुद्दों को चिन्हित करने का प्रयास किया गया है। महिलाओं को उसी तरह सशक्त बनाने के लिए रणनीति विकसित करना है जिस तरह से पुरुष सशक्त हैं यही इस शोध का लक्ष्य है।

कुंजी शब्द

महिला, समानता, सशक्तिकरण, लैंगिक,

परिचय

17 वीं और 18 वीं शताब्दी की पूंजीपति लोकतांत्रिक क्रांतियों ने महिलाओं को समानता की अपनी दृष्टि से बाहर रखा, इसलिए महिलाओं को 19 वीं शताब्दी में एक अलग हित समूह के रूप में विकसित किया गया। यह भेदभाव लिंग के आधार पर किया गया था। तब से, महिलाये सामूहिक रूप से अपने मानवाधिकारों की स्वीकृति के लिए संघर्षकर रही है। महिलाएं समाज मेंएक बहुआयामी भूमिका निभाती हैं, वह एक कमाने वाली, अपने परिवार की देखभाल करनेवाली, एक माँ, पत्नी, बेटी और एक सामाजिक सेवा प्रदाता के रूप में सेवा करती हैं। इस तथ्य को स्वीकर करने के बावजूद कि महिलाएं पुरुषों के साथ देश के विकास में समान रूप से योगदान करती हैं, उन्हें बहुत बाधाओं का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपनी पूरी क्षमता का प्रदर्शन करने से रोकती हैं। इस संदर्भ में, सम्पूर्ण विश्व सरकार को हर कदम परमहिलाओं के हितों और विकास प्रक्रिया में उनकी भागीदारी को

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

प्राथमिकता देने के लिए मजबूर होना पड़ा। मिलेनियम विकास लक्ष्यों में चिंता की एक प्रमुख श्रेणी के रूप में महिलाएं एक प्रमुख विषय के रूप में उभरी हैं। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स 2000 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आठ लक्ष्य अपनाए गए हैं जो वैश्विक गरीबी उन्मूलनकी दिशा में प्रगति को मापने के लिए एक मंच के रूप में काम करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने "लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण" को 2015 तक प्राप्त किए जाने वाले मिलेनियम विकास लक्ष्यों में से एक के रूप में नामित किया है। महिला सशक्तिकरण एक महिला की जीवन मैं स्वतंत्ररूप से अपने बारे में सभी महत्वपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करती है, जिससे जीवन के सभी भागों में उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। ।

हालाँकि, भारत जैसे देश में, ये उद्देश्य पूरे होने से बहुत दूर हैं। सच में, भारत में महिलाओं को अक्सर उनके सम्मान के मौलिक अधिकार से वंचित कर दिया जाता है, लैंगिक समानता तो कल्पना से ही अलग है । वर्तमान अध्ययन भारत में महिलाओं के अधिकारों के मुद्दों की जांच करता है, जो मूल रूप से पितृसत्तात्मक है। इस लेख में दहेज, कन्या भ्रूण हत्या, उत्तराधिकार स्वीकार नकरना, लड़कियों की बिक्री और तस्करी आदि सहित भारत में महिलाओं के सामने आने वाले बहुत से मुद्दों को संबोधित करने का प्रयास किया गया है। इस अध्ययन का लक्ष्य उन महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए तकनीक विकसित करना है जो पुरुषों के समानही मानव हैं।

शोध में चार भाग होते हैं। पहला खंड भारत में उन क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है जहां महिलाओं के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया जा रहा है। महिलाओं के मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए भारतीय संविधान द्वारा किए गए कार्यों की चर्चा खंड II में की गई है। खंड III भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार और नागरिक समाज के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है।

भारत में महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन

निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत भारत में महिलाओं के मानवाधिकारों के उल्लंघन के कई पहलुओं पर विश्लेषण प्रस्तुत है।

लापता महिलायें: प्रो. अमर्त्य सेन ने "लापता महिलाएं" वाक्यांश गढ़ा जब उन्होंने साबित किया कि कई उभरते देशों में महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। कई भारतीय राज्यों में महिलाओं और लड़कियों के ' लापता ' होने का एक प्रमुख कारण असमान लिंग अनुपात है। (Klasen & Wink, 2021) भारत में, बेसहारा परिवारों की लड़कियों को दलालों द्वारा बेचा जाता है, खास कर उत्तरी भारत में, जहां असमान लिंगानुपात की समस्या अत्यधिक दिखाई देती है। वर्ष 2016 में 174021, वर्ष 2017 में 188382 तथा वर्ष

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

2018 में 223621 महिलायें लापता हुई जो आनुपातिक रूप से बढ़ा है। (राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो, 2019) महिलाओं के अपने दाम्पत्य आवास से लापता होने के भी मामले सामने आए हैं।

दहेज के लिए हत्याएं: भारत में महिलाओं की उनके ससुराल में असामान्य दहेज हत्या खतरनाक दर सेबढ़ रही है। दहेज विवाद एक अहम मुद्दा है। भारत के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरोकी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2018 में 7167, वर्ष 2019 में 7141 एवं 6966 महिलायें वर्ष 2020 में दहेज केलिए हत्याकाल के गाल में समा गई। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021) जिन महिलाओं के पति दहेज से संतुष्ट थे, उनके बीच शारीरिक और यौन शोषण की काफी कम संभावना होती है। परिवार के अंदर महिलाओं की स्थिति को निर्धारित करने में दहेज प्रमुख भूमिका दर्शाता है। क्योंकि शादी के समय प्राप्त होने वाले दहेज के प्रति पति के रवैये का बाद के वैवाहिक हिंसा के अनुभवों पर प्रभाव भी पड़ता है इस तथ्य के बावजूद कि भारतीय दंड संहिता की धारा 498 A वैवाहिक क्रूरता करने वालों को गंभीर रूप से दंडित करती है। और दहेज लेना और देना अपराध बना देती है, फिर भी यह भारत में व्यापक रूप से प्रचलित है। वास्तव में, भारत के 'दहेज निषेध अधिनियम' को ठीक से लागू नहीं किया गया है।यह देखा गया है कि अधिकांश राज्यों में दहेज निषेध अधिकारी नहीं हैं या जो दहेज में दिया और लिया जाता है, उसका हिसाब अनिवार्य तौर पर रखा जाए।

घरेलू हिंसा: भारतमें घरेलू हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है। वास्तव में, घरेलू हिंसा का क्षेत्र भारत में महिलाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर हिंसा से जुड़ा हुआ है। घरेलू हिंसा ज्यादातर भारतीय समाज की पितृसत्तात्मक प्रकृति से प्रेरित है, जो घर में इस तरह की हिंसा को प्रोत्साहित करती है। इसके अलावा, शराबी पति, दान की इच्छा, या वंश को आगे बढ़ाने के लिए एक पुरुष बच्चा होना कुछ अन्य आधार हैं जो भारत में घरेलू हिंसा में योगदान करते हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा ने थप्पड़, हमला/प्रहार, सार्वजनिक अपमान और अन्य प्रकार के मनोवैज्ञानिक और शारीरिक शोषण का रूप ले लिया था। 'घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005' के अंतर्गत वर्ष 2018 में 759, वर्ष 2019 में 553 एवं वर्ष 2020 में 446 मामले रिकार्ड हुए वर्ष 2020 में 2018 एवं 2019 की तुलना में कम है किन्तु यह आनुपातिक रूप से सफल नहीं है। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021) भारत में, 'दहेज निषेध अधिनियमऔर घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, साथ ही 1983 में भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत क्रूरता' वैवाहिक घर मेंएक महिला के खिलाफ क्रूरता को दंडनीय और गैर-जमानती अपराध बनाती है। जिससे तीन साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

महिलाओं का सती होना: यद्यपि समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने पूर्व-औपनिवेशिक भारत में विधवाओं को उनके जीवन साथी की चिता पर स्वयं को समर्पित करने की प्रथा को मना किया था, लेकिन यह प्रथा औपनिवेशिक भारत के बाद भी जारी रही। 1986 में, राजस्थान की एक युवा दुल्हन रूप कंवर को उसके पति की चिता पर बिठाया गया था, जिसने स्वतंत्रता के बाद के भारत में सती प्रथा पर बहस को फिर से जीवंत कर दिया था। परिणाम स्वरूप, 1987 में, सती निवारण अधिनियम बनाया गया, जिसने सती प्रथा के अपराध को मौत से दंडनीय अपराध के रूप में परिभाषित किया। (Ahmad, 2009)

बाल विवाह: यद्यपि भारत में 18 वर्ष और 21 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों का विवाह प्रतिबंधित करने वाला एक कानून है, फिर भी यह देश के कई हिस्सों में प्रचलित है। 2006 का बाल विवाह अधिनियम बाल विवाह पर रोकलगाता है और लड़कियों और लड़कों के लिए विवाह योग्य आयु क्रमशः 18 और 21 वर्ष निर्धारित करता है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अनुसार, "50 प्रतिशत से अधिक लड़कियों की शादी 18 साल की उम्र से पहले हो जाती है, जिसके परिणामस्वरूप शिशु जन्म का 'बहुत जल्दी, बहुत बार, बहुत अधिक' का एक विशिष्ट तरीका होता है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च शिशु मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्म) होताहै। " भारत में वर्ष 2018 से 2020 तक क्रमश: 501, 523, 785 मामले बाल विवाह के पंजीबद्ध किए गये तथा उन्हें बाल विवाह निषेध अधिनियम के अंतर्गत वैधानिक उपचार प्रदान किया गया। वर्ष 2018 से 2020 तक लगातार बाल विवाह के मामले में वृद्धि हुई है। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021)

एक बेटे के लिए वरीयता: एक बेटे की इच्छा भारत के पितृसत्तात्मक समाज से उपजी है। एक मातृवंशीय से सामंती युग में भारतीय समाज के परिवर्तन के साथ, जहां कृषि पुरुषों के प्रभुत्व वाले लोगों का प्राथमिक स्थापित पेशा बन गया, एक बेटे की परवरिश एक मजबूत प्राथमिकता बन गई। भूमि को घरों के बीच विभाजित किया गया था और निजी संपत्ति की अवधारणा विकसित की गई थी। बेटों को बेटियों के बजाय इस तरह के पितृसत्तात्मक भूस्वामी संस्कृति में परिवार के कार्यबल के लिए प्रमुख योगदानकर्ताओं के रूप में देखा गया था। इन सभी चिंताओं ने अंततः महिला बच्चों की उपेक्षा का कारण बना, जो अभी भी वर्तमान भारतीय समाज में आमतौर पर हाशिए पर हैं। (Kamkhenthang, 1988)

कन्या भ्रूण हत्या: भ्रूण हत्या, **गर्भपात**, और लिंग-चयनात्मक गर्भपात, जिसने एमनियोसेंटेसिस प्रक्रियाओं को सहायता प्रदान की है, जिससे महिलाओं को कुपोषण और खराब स्थिति का सामना करना पड़ता है। **दुनिया में,**

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

जन्म के समय प्रति 100 लड़कियों पर 107 लड़के हैं, हालांकि यह अनुपात वैज्ञानिक संगठनों के बीच विवाद का विषय है। वैश्विक आंकड़ों को देखते समय, 100 महिलाओं और 101 पुरुषों का अनुपात पाया जाता है,जो मध्य लिंग आबादी के लगभग 0.1 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। (Anne, 2000)2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 940 (मतलब प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं) होने का अनुमान है। (भारत सरकार, 2011) 2021 में यह लिंगानुपात बढ़कर 1020 हो गया है। इस तथ्य के बावजूद कि भारत सरकार ने जन्म पूर्व लिंग निर्धारण को अवैध घोषित किया है, अप्रशिक्षित नर्सों और सहायकों द्वारा कन्या भ्रूणकी अवैध हत्या सामान्य है, विशेषकर हरियाणा, राजस्थान और पंजाब जैसे उत्तरी क्षेत्रों में। इन सभी कारणों से मातृमृत्यु-दर वृद्धि में योगदान दिया है।

शिक्षा: महिलाओं के सशक्तिकरण के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से एक क्षेत्र शिक्षा है। यद्यपि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा स्थापित शिक्षा के अधिकार के लिए सरकार को सभी नागरिकों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है, महिला शिक्षा काएक उच्च प्रतिशत एक आदर्श बना हुआ है। इस तथ्य के बावजूद कि सर्व शिक्षा अभियान कुछ हद तक बालिकाओं को वापस स्कूल लाने में सफल रहा है, उनकी स्कूल अवधारणा की दर उनके पुरुष समकक्षों की तुलना में कम है। वास्तव में, यह पता चला है कि जैसे-जैसे बालिकाएं ग्रेड के माध्यम से आगे बढ़ती हैं, वे स्कूल/शिक्षा छोड़ना शुरू कर देती हैं। यह सटीक साबित होता है, विशेष रूप से भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में, इसका मुख्य कारण यह है कि माता-पिता लड़कियों से अपेक्षा करते हैं कि वे काम पर रहते हुए अपने भाई-बहनों की देख भाल करें, खेती के मौसम में अपने माता-पिता के साथ मौसमी श्रमिकों के रूप में काम करें, और घर का काम संभालते समय उनके माता-पिता दूर हैं, और माता-पिता लड़कियों की शिक्षा की तुलना में लड़कों की शिक्षा में अधिक रुचि रखते हैं क्योंकि उनका मानना है कि लड़कियों की शिक्षा में लड़कों की तुलना में अधिक रुचि नहीं है। नतीजतन, भारत में महिलाओं के लिए सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा एक दूर का सपना बनकर रह गई है।

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न: 1997 में विशाखा मामले के निर्देश में सुप्रीम कोर्ट की सिफारिशों ने काम पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न के बारे में भारत में एक राष्ट्रीय बहस को जन्म दिया। दूसरी ओर, 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) विधेयक, 2013' के पारित होने से विशिष्ट नियमों

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

के माध्यम से इन सुझावों के कार्यान्वयन में सहायता मिली। रिपोर्ट में कहा गया है, "यौन उत्पीड़न के मुद्दे को मुख्य रूप से भारत में बहुत नीचे धकेल दिया गयाहै। " यौन उत्पीड़न से जुड़ी सामाजिक निषिद्धता के कारण, प्रावधानों को कभी भी सफलतापूर्वक लागू नहीं किया गया है। भारत में वर्ष 2018 में 401, वर्ष 2019 में 504 और वर्ष 2020 में 485 मामले पंजीबद्ध हुए हैं। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021) भारत में, महिलाओं को भेदभाव का अनुभव होता है जब यह उनके काम के लिए भुगतान करने की बात आती है। यह शहरी और ग्रामीण दोनों स्तर पर लागू होता है। महिलाओं को विशेष रूप से अपना उद्यम शुरू करने के लिए ऋण प्राप्त करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

बलात्कार: भारत में, पिछले एक दशक में बलात्कार के मामलों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2018 में 33356, वर्ष 2019 में 32032 एवं वर्ष 2020 में 28046 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए थे। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021) भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च जाति के लोग, विशेष रूप से उत्तरी भारत में, निचली जाति समूहों के सदस्यों पर अपनी पहुँच साबित करने के लिए सामूहिक बलात्कार का उपयोग एक कार्य पद्धति के रूप में करते हैं। मुकेश बनाम दिल्ली (निर्भया) में भयानक सामूहिक बलात्कार के मामले ने भारत में बलात्कार के मामलों का मार्ग प्रदर्शित करने के लिए एक कठोर कानून, आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम 2013 को पारित करने के लिए प्रेरित किया। (साहू, 2020)

महिलाओं के खिलाफ सामाजिकहिंसा: भारत के अधिकांश हिस्सों, समुदायों और समाज को पितृसत्तात्मक नियामक जगत से जोड़ा जाता है, जहां से महिलाओं को शायद ही कभी सार्थक न्याय मिलता है। धार्मिक संस्थान, ग्रामीण समुदाय और गढ़े हुए समुदाय लैंगिक समानता के लिए प्रभावशाली होने से बहुत दूर हैं। धार्मिक समाजों ने अक्सर महिलाओं पर कठोर परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बनाकर महिलाओं के जीवन को और अधिक कठिन बना दियाहै जो महिलाओं के लिए हानिकारक हैं। भारत में सामाजिक हिंसा के रूप में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के मामले कहीं अधिक हैं जिनमें वर्ष 2018 में 15309, वर्ष 2019 में 15523 और वर्ष 2020 में 12118 मामलों मेंविभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत उपचार प्रदान किया गया है। (राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो, 2021)

भारत के संविधान द्वारामहिलाओं के मानवाधिकारों का संरक्षण

भारत में महिलाओं को भारतीय संविधान के तहत विशेष अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के निर्माता समाज में महिलाओं की निम्न और पिछड़ी स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। उन्होंने हमारी

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

संस्कृति में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास किया। संविधान का अनुच्छेद 42 राज्य महिला श्रमिकों को मातृत्व लाभ प्रदान करताहै। (बसु, 2011) जबकि अनुच्छेद 51-ए महिलाओं की गरिमा को कम करने वाले कार्यों को अस्वीकार करता है और प्रत्येक भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य घोषित करता है। अनुच्छेद 51-ए के समुचित आवेदन के लिए, भारतीय संसद ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की स्थापना की। (दृष्टि आइ.ए.एस. हिन्दी, 2019)

पिछले कुछ वर्षों में, भारतीय संसद ने कानून के माध्यम से भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लक्ष्य को साकार करने के लिए काफी कदम उठाए हैं। समान पारिश्रमिक अधिनियम, अनैतिक व्यापारनिवारण अधिनियम, सती (विधवा अधिकारों को जलाना) निवारण अधिनियम, और दहेज निषेध अधिनियम सबसे महत्वपूर्ण कदम हैं। (चौधरी, 2019) इसके अलावा, 73 वें और 74 वें संविधान (संशोधन) अधिनियमों ने पंचायत और नगरपालिका दोनों संस्थानों के साथ-साथ दोनों की अध्यक्षता में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। इन दो परिवर्तनों ने स्थानीय स्तर पर महिला सशक्तिकरण के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर किया। (बसु, 2011)

वास्तव में, कर्नाटक वहराज्य है जो सबसे अधिक महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में भेजता है, उसके बाद केरल और मणिपुर का स्थान आता है। राष्ट्रीय और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटों के आरक्षण की अनुमति देने वाला विधेयक राष्ट्रीय और राज्य की राजनीति में महिलाओं की समान भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए संसद में प्रस्तुत किया गया है। इसके अलावा, भारत सरकार ने महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिएऔर भी बहुत से कानून लागू किए हैं, जैसे दहेज निषेध अधिनियम और सती निवारण अधिनियम। (बी.बी.सी. न्यूज, 2009)

महिलाओं के अधिकारों के उल्लंघन सेजुड़े मुद्दों को संभालने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उन्हें नियुक्त किया है। उन्होंने सरकार पर बलात्कार के मामलों, घरेलू हिंसा और महिलाओं के लिए एक अलग आपराधिक संहिता के निर्माण के साथ-साथ अन्य चीजोंके लिए शक्तिशाली नियम स्थापित करने का दबाव डाला है। (राष्ट्रीय महिला आयोग, 2022)

महिला सशक्तिकरण की रणनीतियाँ

भारत में महिलाएं ज्यादातर दुर्व्यवहार का शिकार हो रही हैं क्योंकि वे अपने मूलभूत नागरिक और संवैधानिक अधिकारों से अनभिज्ञ हैं। एक महिला के जीवन काप्रत्येक पहलू पितृसत्तात्मक समाज से प्रभावित होता है। ऐसी

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

स्थितियों में, उनमें से अधिकांश पारंपरिक परंपराओं का पालन करने के लिए मजबूर हैं जो उनके और उनके बच्चों के विकास के लिए हानिकारक हैं। वित्तीय और राजनीतिक स्वत्व अधिकार के साथ-साथ अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के बाद भी, महिलाओं का मानना है कि वे समाज में मूलभूत परिवर्तनों को प्रभावित करने के लिए शक्तिहीन हैं जो लैंगिक असमानताओं को दूर करेंगे। वित्तीय और राजनीतिक शीर्ष अधिकारों सहित अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने के बावजूद, महिलाएं समाज में लैंगिक असमानताओं को खत्म करने के लिए मौलिक परिवर्तनों को प्रभावित करने में शक्तिहीन महसूस करती हैं। (Vishwanathan, 2022)

राष्ट्रीय आयोग ने महिलाओं के अधिकारों के रूप में महिलाओं के लिए एक बड़ा मुद्दा उठाया है, महिलाओं के लिए एक अलग आपराधिक संहिता और उनके खिलाफ अपराधों के लिए कठोर संहिता को बनाया है। महिलाओं के लिए एक अलग आपराधिक संहिता के प्रस्ताव का उद्देश्य उन महिलाओं को शीघ्र अति शीघ्र न्याय प्रदान करना था जिनके साथ अन्याय हुआ था और दोष सिद्धि दर में वृद्धि करना था। हालांकि, इस पहल को आधिकारिक समर्थन नहीं मिला और बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। (झैलावत, 2022)

महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मूल कारणों का विश्लेषण करने के लिए एक बहुस्तरीय कार्यनीति को बनाया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करनेके लिए कि पीड़ित-जीवित लोग अपने दैनिक जीवन कार्यनीति में जा सकते हैं, राज्य और समाज को तत्काल सहायता प्रदान करनी चाहिए। महिलाओं के खिलाफ हिंसा की समस्या का समाधान करने के लिए सरकार, नागरिक समाज और परिवार के बीच समन्वय और एकीकरण के नए स्तर स्थापित किए जाने चाहिए। लैंगिक भेदभाव को खत्म करने केलिए रचनात्मक कानून बनाने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में, राज्यसुधार को लागू करने वाला पहला राज्य था, जब उसने 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम को संशोधित किया, जिसमें महिलाओं को बहुत बहस के बाद समान उत्तराधिकार का अधिकार दिया गया। (सलीम, 2020)

राज्य की औपचारिक व्यवस्था, जैसे कि कानूनी प्रणाली, पुलिस, चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल विभाग, और अनौपचारिक समाज, जैसे परिवार, दोस्त, साथी नागरिक और स्थानीय सामुदायिक समूह, दोनों को निरंतर व्यापक बिना शर्त वित्तीय सहायता देना चाहिए। और साथ ही महिलाओं को भावनात्मक मदद भी। आत्मनिर्भर, स्वतंत्र महिलाओं को अपने जीवन के निर्णय लेने की अवधारणा को केवल शिक्षा के माध्यम से महसूस किया जा सकता है जो महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के साथ-साथ उनके अधिकारों के लिए जागरूक, ज्ञान और समझने में सहायता करता है।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

महिलाओं को संविधान द्वारा गारंटीकृत कानूनी और मानवाधिकारों पर विशेषरूप से शिक्षित किया जाना चाहिए। एक प्रसिद्ध नारीवादी विचारक मार्थानुसबौम ने कहा कि महिलाओं को न्याय का ज्ञान प्रदान करना उनके विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पुलिसभी एक महत्वपूर्ण अगला आधिकारिक सरकारी संगठन है जो भारत में पीड़ित महिलाओं से संबंधित है। इन मुद्दों से निपटने में पुलिस की असंवेदनहीनता के कारण महिलाओं के खिलाफ कई अपराध दर्ज नहीं होते हैं। प्रशिक्षण और लिंग संवेदीकरण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए ताकि महिलाओं के उत्पीड़न को रोका जा सके। जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन्हें न्याय दिलाने के लिए जिम्मेदार न्यायपालिका को लैंगिक मुद्दों पर भी शिक्षित किया जाना चाहिए।

महिला संगठनों को समाज के विचारों को प्रभावित करके महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए, भले ही पारंपरिक व्यवहार हानिकारक हों या नहीं। कई महिला संगठन और गैर-सरकारी संगठन (एन. जी. ओ.) महिलाओं को उनके जीवन और आत्मविश्वास को बहाल करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन उद्देश्यों को तभी पूरा किया जा सकता है जब महिलाओं को उनके विधिक कानूनी अधिकारों के बारे में सही से जानकारी दी जाए और वे अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए सामाजिक आर्थिक सभी रूप से पर्याप्त रूप से आत्मनिर्भर हों। इस तरह की पहल, अगर आश्रय गृहों के भीतर लागू की जाती है, तो पीड़ितों को परामर्श और समुदायकी भावनादोनों मिल सकती है। (मिश्रा, 2017)

केवल सांस्कृतिक मानदंडों और महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण को बदलकर ही महिलाओं के खिलाफ हिंसा को कम किया जा सकता है, जिसेमुख्य रूप से स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। हाई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर छात्रों को मानवाधिकारों और लिंगभेद संबंधी समस्याओं के बारे में सिखाने वाले पाठ्यक्रम को उनकी अध्ययन सामग्री में शामिल किया जाना चाहिए। "लैंगिक समानता प्राप्त करने के लिए, पाठ्यचर्या सुधार जो स्कूलों में लैंगिक रूढ़िवादिता को खत्म करने का प्रयास करता है (इतिहास की कक्षा में विशेषतः महिलाओं की उपलब्धियों के बारे में पढ़ाना, पाठ्यपुस्तकों में देह व्यापार रूढ़ियों को मिटाना, खेल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना देना) महत्वपूर्ण है।" (सिंह, 2018)

निष्कर्ष

संक्षेप में निष्कर्ष स्वरूप यह तथ्य विषय है कि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण तभी हकीकत बन सकता है जब भारत केवल लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर समुचित विकास का लक्ष्य प्राप्त कर सकता है यदि कन्या भ्रूण हत्या, दहेज हत्या, खाप पंचायतों द्वारा ऑनर किलिंग, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी पारंपरिक प्रथाओं को समाप्त कर दिया जाए।

Indexed with IIJIF
Impact Factor : 1.021
ISSN: 2456 - 608X
International Journal of Legal Research and Studies
A Peer-Reviewed Refereed Online Law Journal

संदर्भ सूची

1. Chaudhary, Neha. Naari Deh Ke Virudh Hinsa. SAGE Publishing India, 2019.2019IndiaSAGE Publishing Missing Women: A Review of the Debates and an Analysis of Recent Trends Sati Tradition - Widow Burning in India: A Socio- legal2009Web Journal of Current Legal Issues 1-15

2. Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality2000New YorkBasic Books The Paite, a Transborder Tribe of India and Burma1988New DelhiMittal Publications

3. Vishwanathan. (10 मई 2022). लैंगिक समानता. यूनिसेफ़ भारत: https://www.unicef.org/india/hi/what-we-do/gender-equality से पुनर्प्राप्त जेन्डर संवेदिकरण: शिक्षक की भूमिका 2018 चेतना II विशिष्ट72-78 दृष्टि आइ.ए.एस. हिन्दी मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता नारी देह के विरुद्ध हिंसा 2019

4. इंडिया सेज पब्लिशिंग निर्भया केस: दरिंदे मुकेश की फांसी पर 'सुप्रीम' मुहर, अक्षय की 'बेतुकी' अर्जी पर सुनवाई आज

5. बी.बी.सी. न्यूजपंचायतों में महिला आरक्षण 50 प्रतिशत भारत का संविधान - एक परिचय 2011नागपूर लेक्सिस नेक्सिस बटरवर्थस , वर्धा

6. भारत सरकार 2011 भारत में लिंगनुपात महिलाओं के लिए बने कानून मानव तस्करी से संघर्ष नीति और कानून में कमियां 2017 इंडियासेज पब्लिशिंग राष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो2019रिपोर्ट ऑन मिसिंग वुमन एण्ड चिल्ड्रन इन इंडिया गृह मंत्रालय भारत सरकारनई दिल्लीराष्ट्रीय अपराध रेकॉर्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय)

7. राष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो2021क्राइम इन इंडिया 2020गृह मंत्रालयराष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरोनई दिल्लीराष्ट्रीय क्राइम रिकार्ड ब्यूरो (गृह मंत्रालय) भारत सरकार

8. राष्ट्रीय महिला आयोगमहिलाओं से संबंधित कानून हिंदू विधि भाग 16: बगैर वसीयत के स्वर्गवासी होने वाली हिंदू नारी की संपत्ति का उत्तराधिकार (Succession) कैसे तय होता है